संख्या-25 /2025/783 /001-53-2099-1405-2019-2(47)/2015

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 06-11-2025**

विषयः- सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण के मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीवकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-214/दुग्ध-5/नियो0/सू0त0अनु0पत्रा0/2025-26, दिनांक 30 सितम्बर, 2025 एवं पत्रांक-284/दुग्ध-5/नियो0/सू0त0एवं कम्प्यू0पत्रा0/2025-26, दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 हेतु रू0 100.00 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष पी0सी0डी0एफ0 हेतु रू0 100.00 लाख एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतु रू0 100.00 लाख की धनराशि निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल प्रस्तर-3 में उल्लिखित नियमों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	उपकरण/सेवाओं का विवरण	वांछित धनराशि (रूपये लाख में)
1	2	3
(अ) पी0सी0डी0एफ0 कार्यालय हेतुः-		
1	आनलाईन डीपीएमसीयू मानीटरिंग साफ्टवेयर के टेक्नीकल सपोर्ट एवं	77.30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पीसीडीएफ तथा 18 दुग्ध संघों में स्थापित कन्ट्रोल रूम हेतु लीज लाईन की व्यवस्था हेतु।	
2	विभागीय वेबसाईट के टेक्नीकल सपोर्ट एवं सिक्योरिटी आडिट हेतु।	2.25
3	ईमेल व्यवस्था के टेक्नीकल सपोर्ट हेतु।	0.45
4	पीसीडीएफ मुख्यालय हेतु डेस्कटाप कम्प्यूटर सिस्टम का क्रय (एसेसरीज सहित)-12 नग।	18.00
5	पीसीडीएफ मुख्यालय हेतु लीजलाईन एवं ब्राडबैंड व्यवस्था हेतु।	2.00
	योग-	**100.00**
(ब) दुग्ध आयुक्त कार्यालय हेतुः-		
1	विभागीय वेबसाईट के वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्योरिटी आडिट, टेक्नीकल सपोर्ट आदि कार्यो हेतु।	2.00
2	दुग्ध आयुक्त कार्यालय में स्थापित समस्त कम्प्यूटरों हेतु बी0एस0एन0एल0 द्वारा 100 एम0बी0पी0एस0 की प्रदान की जा रही इण्टरनेट लीज लाईन की सेवा का व्यय एवं वार्षिक अनुरक्षण आदि कार्यो हेतु।	11.00
3	दुग्ध आयुक्त कार्यालय में ई-आफिस के अन्तर्गत फाइलों के डिजिटाईजेशन, स्कैनिंग एवं कम्प्यूटर्स तथा सहवर्ती उपकरण यथा- फोटोकॉपियर, प्रिन्टर, यूपीएस, स्कैनर, पेनड्राइव, एण्टीवायरस, एम0एस0 आफिस आदि के क्रय किये जाने हेतु।	61.43
4	मा0 मुख्यमंत्री डैशबोर्ड "दर्पण" से इन्टीग्रेट जनहित गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित पोर्टल के नवीनीकरण/अपडेशन वार्षिक अनुरक्षण, होस्टिंग, सिक्यूरिटी आडिट, टेक्नीकल सपोर्ट आदि कार्यो हेतु ।	7.00
5	विभागीय ओ0आई0एम0एस0पोर्टल (UP.Dairy.nivesh.in) के सिक्यूरिटी आडिट, एस0एस0एल0 सर्टिफिकेट, एस0एम0एस पैकेज एवं वार्षिक अनुरक्षण आदि कार्यो हेतु ।	18.57
	योग-	100.00
	महायोग(अ+ब)	200.00

3- नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रस्तावित कार्यो/मदों हेतु उक्त तालिका के कालम-2 के अनुसार अनुमन्य है, उसी प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो अपने संसाधन से वहन किया जायेगा।
(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु है, जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा, व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए दुग्ध आयुक्त स्वयं जिम्मेदार होंगे।
(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित होता है, तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा ।
(6) धनराशि का आहरण करने तथा स्वीकृत धनराशि निर्धारित प्रायोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का दायित्व दुग्ध आयुक्त का होगा।
(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से मशीनरी/उपकरणों आदि का क्रय शूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के संगत शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था एवं प्रकिया का अनुसरण करते हुए किया जायेगा।
(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारी ही लेखे बही-खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परिक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।
(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र मदवार निर्धारित प्रारूप पर शासन को वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404001020305 सूचना तकनीक एवं कम्प्युटरीकरण **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-25/2025/783(1)/001-53-2099-1405-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज ।
3. प्रबन्धक निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
4. वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वरिष्ठ आडिट आफीसर, (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1/2, वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनु0-1, नियोजन अनु०-3/राज्य योजना आयोग, उ0प्र0शासन।
8. वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राम आसरे राम
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।